उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)
संदर्भ : मि० सं० 1-16/2007 (सी.पी.पी.-II) दिनांक 17 जून, 2009. के अनुसार –

Annexure –I (हिन्दी)

3. रैगिंग कैसे होती है -

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेंक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगें –

(क) किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।

(ख) छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।

(ग) किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

(घ) वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाएं।

(ड) नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

(च) नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।

(छ) शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।

(ज) मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई–मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग मार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

(झ) कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले लाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

Annexure –II (हिन्दी)

7. संस्थाध्यक्ष द्वारा की जानेवाली कार्रवाई -

I. रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के **24** घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अंतर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं।

II. रैगिंग हेतु उकसाना
III. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र
IV. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना
V. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना
VI. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना
VII. शरीर को चोट पहुँचाना
VIII. गलत ढंग से रोकना
IX. आपराधिक बल प्रयोग
X. प्रहार करना, मौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध
XI. बलात् ग्रहण
XII. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना
XIII. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध
XIV. आपराधिक धमकी
XV. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना
XVI. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना
XVII. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना
XVIII. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध

रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध यह भी उल्लेख किया जाता है । संस्थाध्यक्ष रैगिंग की घटना की सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को दें।

यह भी उल्लेख किया जाता कि संस्था इन विनियम के खण्ड **9** के अधीन अपनी जाँच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कारवाई की प्रतीक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दे और घटना के एक सप्ताह के भीतर औपचारिक कारवाई पूरी कर ली जाए।

Annexure –III (हिन्दी)

9. रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई –

9.1 किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

(क) रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।

(ख) रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में को कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।

I. कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन
II. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना
III. किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना
IV. परीक्षाफल रोकना
V. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
VI. छात्रवास से निष्कासित करना
VII. प्रवेश रद्द करना
VIII. संस्था से 04 सत्रों तक के लिए लिए निष्कासन करना।
IX. संस्था से निष्कासित और परिणाम रूवरूप किसी भी संस्था में निश्चित अवधि तक निष्कासन करना। जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।

(ग) रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जाएगी।

I. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्था होने पर कुलपति से।
II. विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलाधिपति से।
III. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने पर उसक चेयनमेन अथवा चांसलर अथवा स्थिति के अनुसार।

Annexure – IV (हिन्दी)

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाणपत्र

१. अभ्यर्थी/छात्र का घोषणा पत्र मैं पुत्र/पुत्रि..... श्री/श्रीमती/सुश्री ....ने रैगिंग निषेघ के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केंद्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम २००६ की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।

२. मैंने मुख्यरूप से विनियम ३ को पढ़ लिया है समझा लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने है।

३ मैंने धारा ७ तथा धारा ६.१ विनियम को समझ लिया है । अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैंगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।

४ मैं निश्चयत पूर्वक यह प्रयत्न करुँगा कि –

क) मैं किसी की रैगिंग जो कि धारा ३ विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नही लूँगा/लूँगी

ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा ३ विनियम के अंतर्गत आता हो।

४ मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नही करूँगा/करूँगी

५ मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाया गयी तो मुझे विनियम ६.१ के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

६ मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नही लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर.....दिन .....महीना.....वर्ष.....

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

शपथ प्रमाणपत्र

मेरे द्वारा सत्यापण के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नही है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।

सत्यापित.....स्थान..... दिन .....महीना.....वर्ष.....

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तो को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

Annexure – V (हिन्दी)

माता-पिता/अभिभावक का शपथ-पत्र

१. श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पिता–माता/अभिभावक का पूर्ण पता) माता/पिता/अभिभावक..... विद्यार्थी का पूर्ण पता प्रवेश/पंजीकरण/पंजीकरण संख्या) .... संस्था का नाम)..... संस्था में प्रवेश लिया है। रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धी विनियम–२००६ में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

२. मैंने मुख्यरूप से विनियम ३ को पढ़ लिया है समझा लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने है।

३ मैंने धारा–७ तथा धारा–६.१ विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अगर मेरा पुत्र/पुत्रि रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए उकसाता है या किसी तरह की रैंगिंग में भाग लेता है तो प्रशासन मेरे पुत्र/पुत्रि के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

४ मैं शपथपूर्वक निश्चय करता हूँ कि –

क) मेरे पुत्र/पुत्रि किसी तरह के रैगिंग जो कि धारा ३ विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नही लेंगे।

ख) मैं अपने पुत्र/पुत्रि को किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने दूँगा/दूँगी जो कि रैगिंग के धारा ३ विनियम के अंतर्गत आता हो।

५ मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरे पुत्र/पुत्रि रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाई गयी तो मेरे पुत्र/पुत्रि को विनियम ६.१ के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे पुत्र/पुत्रि के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

६ मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्रि के विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नही लगाया गया है और मेरे पुत्र/पुत्रि को ऐसे मामले में पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्रि का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर ..... दिन..... महीना ..... वर्ष.....

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
नामपता,
दूरभाष नं

सत्यापन

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ–पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नही है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।

सत्यापित.....स्थान..... दिन .....महीना.....वर्ष.....

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ–पत्र में दिन .....महीना.....वर्ष.....दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तो को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त